[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं0 18/2017-सेवा कर

नई दिल्ली, 22 जून, 2017

1 आषाढ़, 1939 शक

सा0का0नि0 (अ)- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 है ।

 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सेवा कर नियम, 1994 में,-

 (i) नियम 7 के उपनियम (2) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

 "परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017 तक की अवधि के लिए विवरणी, यथास्थिति, प्ररूप 'एसटी-3' या 'एसटी-3सी' में 15 अगस्त, 2017 तक प्रस्तुत की जाएगी ।"

 (ii) नियम 7ख के उपनियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

 "परंतु 1 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017 तक की अवधि के लिए पुनरीक्षित विवरणी नियम 7 के अधीन विवरणी के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी ।"

[फा0सं0 137/18/2017-सेवा कर]

22062017

(डा0 श्रीपार्वती एस.एल.)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं0 2/94-सेवा कर, तारीख 28 जून, 1994, सा0का0नि0 सं0 546(अ), तारीख 28 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उन्हें अधिसूचना सं0 16/2017-सेवा कर, तारीख 13 अप्रैल, 2017 द्वारा सा0का0नि0 सं0 369(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2017 द्वारा संशोधित किया गया ।